राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–05/2019

दायर दिनांक–29.01.2016
निर्णय दिनांक–17.07.2019

श्री रामजी पिता कचरा पटेल, निवासी लोडवाडा तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री रामलाल पिता नाथा पटेल, निवासी लोडवाडा तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती सीता पत्नि श्री रामलाल पटेल, निवासी लोडवाडा, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बिछीवाडा

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री शार्दुलसिंह राठौड़ – अपीलान्ट
2. श्री एस.एल. परमार – रेस्पोडेन्टगण

:: निर्णय ::

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र न्यायालय हांजा को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लोडवाडा के अपने कब्जे की भूमि आराजी नंबर 1536 में आवंटन हेतु केम्प गामडी अहाडा में आवेदन किया था, उसे केम्प गामड़ी अहाड़ा में दिनांक 20.12.2004 को मी.नं. 473/04 से मात्र 05 बिस्वा भूमि आवंटन की गई। अनपढ़ होने से वह इसे एक बीघा भूमि आवंटन होना ही मान रहा था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 01.11.2015 को यह जमीन उसके खाते में होने की बता जबरन कब्जा करने की चेष्टा करने पर ज्ञात हुआ कि केम्प गामडी अहाडा में मी. नं. 474/2004 से उसे व उसकी पत्नि सीता को ख.नं. 1536 में एक बीघा भूमि आवंटन की गई थी, मौके पर वह कभी आवंटित भूमि पर काबिज नहीं हुआ, मात्र कागजों में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर मेरे कब्जे की भूमि पर उस आवंटन की पैमूदगी करा जबरन काबिज होने का प्रयास कर रहा हैं। रेस्पोडेन्ट को आवंटन करने के पूर्व मौके की स्थिति को देखे बिना रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया हैं। मौके पर मुझ प्रार्थी द्वारा भी खलिहान के रूप में कब्जा अनवरत जारी होने से प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के मार्फत विपक्षी के आवंटन को निरस्त कर पुरी भूमि उसके नाम नियमित किए जाने के आदेश हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिए नोटिस तलब किये गये। उन्होंने उपस्थित अदालत होकर प्रार्थना–पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया है कि उसके पुराने कब्जे व वाड लगी हुई होने से ही आवंटन कमेटी ने मजमे आम में सदस्यों की सर्वसम्मति से उसे विधी सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया है उसने आवंटन की सभी शर्तो की पालना की हैं व मौके पर उसका ही कब्जा काश्त वना हुआ हैं। जिस आधार पर उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। अतः प्रार्थना–पत्र खारीज करने निवेदन किया हैं।

प्रार्थना–पत्र व जवाब के परिप्रेक्ष्य में मौके की वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष लाये जाने हेतु तहसीलदार बिछीवाडा से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। उन्होंने अपनी मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 169 दिनांक 05.12.2017 मय मौका स्थिति नजरी नक्शा पेश की।

हमारे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस समायत की गई। वकील अपीलार्थी का कथन है कि उसे पांच बिस्वा कब्जे के आधार पर आवंटन हुआ हैं, वर्ष 2004 वक्त आवंटन से आवंटित खसरा की पैमूदगी नहीं की गई। निरन्तर आवेदन पर भी उसके कब्जे की भूमि पर तरमीम नहीं किया गया हैं। अनपढ होने से उसे जनकारी नही हैं। उसकी इस भूमि के पास ही खातेदारी जमीन पर रेस्पोडेन्ट को तरमीम मेरे कब्जे की भूमि पर कर दी हैं जबकि मैं आज भी 5 बिस्वा जमीन पर बैठा हैं। उक्त कब्जा बाड/खलिहान के रूप में कायम है। अपूर्ण पत्थर की दीवार बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट के आवंटन को निरस्त करने निवेदन किया हैं।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता के कथन है कि दोनों पक्षकारो को एक ही शिविर में भूमि आवंटन हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट रामलाल व सीता को संयुक्त रूप से एक बीघा आवंटन हुई हैं। अपीलार्थी के आवंटन पूर्व कब्जे का कोई आधार/सबूत नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट का कब्जे के आधार पर ही खातेदारी अधिकार मिल चुके है। प्रार्थी का कोई दस्तावेजी कब्जे का साक्ष्य नहीं हैं। प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाने निवेदन किया हैं।

हमारे द्वारा बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों को एक ही शिविर गामडी अहाडा में एक ही ख.नं. 1536 में भूमि आवंटित की गई थी। अपीलार्थी को 5 बीघा व रेस्पोडेन्टस को एक बीघा भूमि आवंटित हुई हैं। यहां विवाद प्रार्थी को आवंटित भूमि के तरमीम को लेकर है। रेस्पोडेन्टगण को आवंटन हुए खसरे, नक्षा लट्ढा में हुई तरमीम के अनुसार ही काबिज है, उन्हें खातेदारी अधिकार भी मिल चुके हैं। इसके विपरीत अपीलार्थी के आवंटन पूर्व भूमि पर कब्जे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। दोनों प्रार्थी पक्षों को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन मेजमे आम में सर्वसम्मति से किया गया विधी सम्मत आवंटन हैं। मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण उन्हें आवंटित रकबा ख.नं. 1920/1536 पर काबिज काश्तकार बताये गये हैं। अप्रार्थीगण को

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं जबकि प्रार्थी के आवंटित रकबे की नक्शें में तरमीम होना शेष हैं। अतः इन तथ्यों के आलोक में मेरा यह विनम्र मत है कि इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं आवंटन प्रक्रिया में कोई तथ्य छिपाने या झूठे तथ्य पेश कर आवंटन कराने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) को खारीज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner